संख्या: 202 / ।।–2006–03(13) / 2006

प्रेषक,

बी0आर0टम्टा
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लघु सिंचाई विभाग, उत्तरांचल
देहरादून।

लघु सिंचाई विभाग देहरादून:दिनांक 21 मार्च ,2006

विषय:– त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत धनावंटन (502 नई योजनायें)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 2286 / ल0सिं0 / ए0आई0बी0पी0 / 2005–06 दिनांक 03.03.2006 एवं शासन के पत्र सं0 145 / ।।–2006–03(13) / 06 दिनांक 02.03.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि आयोजनागत मद में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के लिए स्वीकृत 502 नई योजनाओं हेतु रू0 435.37 लाख (रू0 चार करोड़ पैंतीस लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतुं आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या: 1210 / ।।–2005–04(02) / 2004 दिनांक 28.11.05 में निहित शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

4– उक्त व्यय में बजट मैनुअल ,वित्तीय, हस्तपुस्तिका, टैण्डर / कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि की जनपदवार / खण्डवार फॉट स्वीकृत योजनाओं के अनुपात में की जाय।

6– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकि का प्रयोग किया जाय।

7– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

कमश:...............2

9— स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग मार्च, 2006 तक कर लिया जायेगा और इसमें कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

10— ए0आई0वी0पी0 की योजनाओं पर व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा और भारत सरकार से उक्त के विपरीत आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राविधानित करा ली जायेगी तथा आगामी किस्त भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की स्थिति स्पष्ट करने पर ही अवमुक्त की जायेगी।

11— विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकि अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—20 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800—अन्य व्यय—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (75 प्रतिशत के0स0) 0104—त्वरित सिंचाई लाभ योजना—24 बृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—503/वि0/अनु0—4/2005 दिनांकः 21.03.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0आर0टम्टा)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 202/ I I—2006—03 (13)/2006/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— वित्त विभाग (वित्त अनुभाग—4), उत्तरांचल शासन।
3— श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
4— नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5— निजी सचिव, मा0 मंत्री, लघु सिंचाई।
6— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
7— समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— गार्ड फाईल हेतु।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।